

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक :- नर्सिंग/नर्स-2/बी-1/पो0बैसिक/2017/

दिनांक:

आदेश

श्रीमती भगवती देवल, नर्स-2, प्रिन्सिपल मेडिकल ऑफिसर, ब्यावर, जिला अजमेर को स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर वर्ष 2017-18 में पोस्ट बैसिक बी0एससी0 (नर्सिंग) प्रशिक्षण में सम्मिलित होने की निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन अनुमति प्रदान की जाती है:-

शर्त:-

1. नियमानुसार स्वयं का अवकाश/अध्ययन अवकाश स्वीकृत कराना होगा।
2. उक्त प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार/विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा।
3. प्रशिक्षण समाप्त होने पर कार्मिका तुरन्त विभाग में अपनी उपस्थिति देगा अन्यथा नियमानुसार का कार्यवाही की जावेगी।
4. कार्मिका प्रशिक्षण के उपरान्त किसी भी प्रकार की पदौन्नति, वित्तीय लाभ अथवा उच्च वेतनमान की मांग नहीं करेगा।
5. राजस्थान सेवा नियमों में उल्लेखित प्रावधानों की पूर्ण पालना की जावेगी।
6. नियमानुसार बन्ध पत्र भरना होगा।
7. उक्त प्रशिक्षण हेतु शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि प्रतिनियुक्ति की माग नहीं करेंगे।
8. संविदा/प्रोबेशन पर कार्यरत कर्मों उक्त प्रशिक्षण में चयन होने पर पात्र नहीं माने जावेंगे।

-51

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- नर्सिंग/नर्स-2/बी-1/पो0बैसिक/2017/ 422 दिनांक: 6-7-2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, ब्यावर, अजमेर।
2. नर्सिंग अधीक्षक, ए के एच ब्यावर, अजमेर।
3. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।
5. आदेश पत्रावली।



(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर